प्रेस नोट

दिनांक 06.04.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा 03 दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनंद कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-64/25, धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों-01. रोहित कुमार गुप्ता पुत्र राजकुमार (पति), 02. राजकुमार पुत्र मंगल(ससुर), 03. रूपवती (सास) निवासीगण पेड़ारे गढ़वा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को देवतहा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.04.2025 को वादी कुंवर बहादुर पुत्र गादुर नि0 अमडोहवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की की शादी करीब 02 वर्ष पेड़ारे गढ़वा के रहने वाले रोहित कुमार गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी लड़की को उसके पति व परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा दिनांक 04.04.2025 को दहेज की मांग के चलते जान से मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में नामजद 04 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 06.04.2025 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर 03 आरोपी अभियुक्तों-01. रोहित कुमार गुप्ता पुत्र राजकुमार (पति), 02. राजकुमार पुत्र मंगल(ससुर), 03.रूपवती(सास) निवासीगण पेड़ारे गढ़वा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को देवतहा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रोहित कुमार गुप्ता पुत्र राजकुमार (पति) नि0 पेड़ारे गढ़वा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. राजकुमार पुत्र मंगल (ससुर) नि0 पेड़ारे गढ़वा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. रूपवती पत्नी राजकुमार नि0 पेड़ारे गढ़वा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-64/25, धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शेषनाथ पाण्डेय।
03. हे0का0 पप्पू सिंह।
04. का0 विक्रांत यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06-04.2025
मिशन शक्ति अभियान 5.0

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा गांवों में चौपाल लगाकर बालिकाओं/महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण-

महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में किया गया जागरूक-

महिलाएं/बालिकाएं/बेटियां हो स्वावलंबी, उनकी हो सुरक्षा, हो उनका सम्मान, शासन की है महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति अभियान-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत थानों पर गठित एण्टीरोमियो टीम व बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवो में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण कराने के सम्बन्ध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है तथा रैली निकालकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन आदि अधिकारो के प्रति महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नहीं आना पडेगा अपितु शक्ति दीदी नियमित अन्तराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवो में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा।

आज दिनांक 06.04.2025 को जनपद के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारीगण (शक्ति दीदी) द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर मनचलों/शोहदों को रेड कार्ड दिया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से गुड टच-बैड टच की जानकारी दी गई। बच्चों को पढ़ने तथा स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया तथा बच्चों से स्कूल जाने पर रास्ते में किसी प्रकार की समस्या होने के बारे में पूछा गया थाना फीडबैक फार्म को भरवाया गया।बच्चो को बताया गया कि किसी अनजान व्यक्ति के बुलाने या बहकावे में न आए न ही कोई खाने पीने की वस्तु ले तथा बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर-1098 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा महिलाओं एवम बालिकाओं/बच्चों के प्रति हो रहे अपराधो जैसे छेड़छाड़/शोषण, बाल अपराध, एसिड अटैक, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न इत्यादि की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी किए गए सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबरों- 1090,181,102, 108,1076, 1098,1930 साइबर अपराध के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।